सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बनाम राजेश चांगल वगै0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. श्री राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल चांगल जाति जाट,
   निवासी– मु.पो. राणी गांव. तह. मकराना जिला नागौर।
   (विक्रेता मालिक)
   फर्मः–मैसस आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, राणीगांव,तह.मकराना,जिला नागौर।
2. श्री प्रतीक कुमार पुत्र श्री जेठाराम (निर्माता फर्म मालिक)
   निवासी– शिवमार्ग, मु.पो. सबलपुरा तह. कुचामन सिटी जिला नागौर।
   फर्म– मैसर्स श्री रावजी आचार, मु.पो. सबलपुरा तह. कुचामन सिटी जिला नागौर।

प्रकरण संख्याः–08/2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 31(2) एवं धारा– 52 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. प्रतिवादी श्री राजेश चांगल जाति जाट।
2. प्रतिवादी श्री प्रतीक कुमार।

–:निर्णय :–

दिनांक :–17.09.2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.09.2020 को समय 11:05 ए.एम. पर फर्म मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, राणी गांव में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल चांगल जाति जाट, निवासी– मु.पो. राणी गांव तह. मकराना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खाद्य पदार्थ घी, तेल, आचार आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही होना बताया। परन्तु

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

फर्म का ड्रग लाईसेंस की छाया प्रतियां प्रस्तुत की, पूछने पर वार्षिक टर्न ऑवर लगभग 7 से 8 लाख रूपये होना बताया। ड्रग लाईसेंस की छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक व गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) राजस्थानी अथाना मिर्ची के 400–400 ग्राम वाले 12 पाउच एक लकड़ी की रैक में रखे हुए थे। जिन पर फार्म नं.–5ए पर दर्शाये अनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्र्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.–5ए में दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि ये आम का आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) राजस्थानी अथाना मिर्ची को अन्य फर्म से खरीदने का बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची का आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) राजस्थानी अथाना मिर्ची की 400–400 ग्राम वाले 4 पाउच मूल ही सील्ड पैक में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को उनके बताये अनुसार 160/–रू (अक्षरे एक सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची का आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) राजस्थान अथाना मिर्ची के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1337 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

राजेश चांगल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

(4) तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 11.09.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

(5) मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर को खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी ब्राण्ड) राजस्थानी अथाना मिर्ची को अन्य फर्म से खरीदने का खरीद बिल/कैश मेमों/वेट इन्वायस की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत् रजिस्टर्ड पत्रांक/4600 दिनांक 22.09.2020 को प्रेषित किया, जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर से पत्र के साथ वेट इन्वायस, छाया प्रति प्राप्त हुई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(7) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री रावजी आचार सबलपुरा कुचामन सिटी को फार्म न. 5ए की छायाप्रति भिजवाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत रजिस्टर्ड पत्रांक/5087 दिनांक 20.10.2020 प्रेषित किया जिसकी कार्यालय प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

यह है कि कार्यालय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से पत्रांक/446 दिनांक 17.09.2020 प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने माह सितम्बर 2020 में प्राप्त नमूनों के खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006 और रूल/रेग्युलेशन 2011 के तहत इस प्रयोगशाला में प्राप्त खाद्य नमूनों की जांच 14 दिवस की अवधि में पूर्ण नही की जा सकती प्रयोगशाला का एनएबीएल प्रमाणीकरण एवं प्रमाणीकरण करवाने हेतु आवेदन उपरांत अत्यावश्यक प्रक्रियाए संचालित करने के कारण व कार्यभार बढ़ जाने के कारण उक्त नमूनों की जांच रिपोर्ट नमूना प्राप्ति की दिनांक से 45 दिवस की अवधि पूरी की जा सकेगी। जिसकी प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(8) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक/ 511–12 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा सलंग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/286/Act/2020/162 दिनांक 19.10.2020 के द्वारा प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश चांगल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची का आचार (श्री रावजी ब्राण्डद्ध राजस्थानी अथाना मिर्ची का नमूना Q–1337 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड (मिथ्या छाप) होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश चांगल को भी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक/511–12 दिनांक 19.11.2020 को प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद तथा जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(9) यह है कि मैसर्स श्री रावजी आचार से पत्र के साथ प्राप्त फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण की छाया प्रति, फर्म का जीएसटी सर्टिफिकेट की छाया प्रति, फर्म मालिक के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्राप्त हुई जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(10) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री रावजी आचार से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें यह पाया गया कि जो खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची का आचार (श्री रावजी आचार) को मैसर्स श्री रावजी आचार से खरीदने का बिल भिजवाया गया। वह बिल 10.09.2020 का था। जिसकी प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)) एवं धारा 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

(11) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयों को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 19.02.2021 को प्रतिवादी राजेश चांगल की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया तथा प्रतिवादी प्रतीक कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी प्रतीक कुमार की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 10.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
प्रकरण में प्रतिवादीं श्री राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल की ओर से जवाब पेश किया गया जो निम्नानुसार है–

1. यह है कि प्रार्थी की फर्म मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर रानी गांव में स्थित है।
2. यह है कि प्रार्थी उक्त फर्म के द्वारा अपना जीवन बसर करता आ रहा है। खाद्य निरीक्षण महोदय ने प्रार्थी की फर्म पर निरीक्षण के दौरान अथाना मिर्च (हरी मिर्च आचार) का सेम्पल लिया जो पूर्ण रूप से कम्पनी द्वारा पैंकिग किया हुआ था।
3. यह है कि उक्त आचार मिर्च (श्री रावजी) कम्पनी द्वारा पैकिंग किया हुआ था। जिसमें प्रार्थी द्वारा कोई मिलावट करने की गुजांइश नही है। जिसका प्रार्थी के पास खरीद का बिल क्रमांक 02 दिनांक 10.09.2020 है जो सलंग्न है।
4. यह है कि प्रार्थी फर्म पर निरीक्षण के दौरान निरीक्षक महोदय को कोई भी अन्य सामान में अमानकता नही मिली है। अत श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी राजेश चांगल के विरूद्ध अमानकता की कार्यवाही निरस्त करने का आदेश सादर फरमावें।

(12) प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीयों को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादियों द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 31(2) का उल्लंघन पाया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादियों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(13) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.09.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 11:05 ए.एम. पर फर्म मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, राणीगांव तह. मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल चांगल, निवासी मु.पो.राणी गांव तह. मकराना जिला नागौर, उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल, मसाला, आचार आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान स्वंय का होना बताया, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन नही होना बताया। ड्रग लाईसेंस की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(14) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची के 400–400 ग्राम वाले 12 पाउच लकड़ी की रैंक में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके मिसब्राण्डेड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची के 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 160/–(अक्षरे एक सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1337 को नियमानुसार गोद से

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश चांगल एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, राणीगांव तह. मकराना जिला नागौर, विक्रेता मालिक श्री राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल चांगल, निवासी– मु.पो.राणी गावं तह. मकराना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ आम का आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द गहलोत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 11.09.2020 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर ने दिनांक 11.09.2020 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM-B रिपोर्ट नं L.S/286/Act/2020/162 दिनांक 19.10.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The Sample of Hari Mirchi Achar-Rajasthani Athana Mirch (Shree Ravji Brand) bearing Code No. and Sr. No. Q-1337 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

is **Misbranded** under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act -2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता श्री राजेश चांगल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हरी मिर्ची आचार (श्री रावजी आचार) राजस्थानी अथाना मिर्ची का नमूना Q–1337 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य है। खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्डेड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 31(2) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 31:–

कोई भी व्यक्ति कोइ खाद्य कारोबार अनुज्ञप्ति के अधीन ही प्रारंभ करेगा या उसे चलाएगा अन्यथा नही।

धारा 52:–

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो, मिथ्या छाप का है, शास्ति का, जो तीन लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा 58:–

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(15) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/511–12 दिनांक 19.11.2020 से राजेश चांगल को उक्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/286/Act/2020/162 दिनांक 19.10.2020 को प्रति प्रेषित की गई है किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्डेड (मिथ्याछाप) है जो खाद्य सुरक्षा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 31(2) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर,राणीगांव तह. मकराना जिला नागौर व मैसर्स श्री रावजी आचार, मु. पो. सबलपुरा तह. कुचामन सिटी जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के तहत प्रतिवादी प्रतीक कुमार पुत्र जेठाराम, निवासी–शिवमार्ग, मु.पो. सबलपुरा तह. कुचामन सिटी जिला नागौर, फर्मः–मैसर्स श्री रावजी आचार, मु.पो. सबलपुरा तह. कुचामन सिटी जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है तथा प्रतिवादी राजेश चांगल पुत्र श्री बाबूलाल चांगल, निवासी– मु.पो.राणीगांव तह. मकराना जिला नागौर, फर्म– मैसर्स आदर्श मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, राणीगांव, तह. मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/–(अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(16) आदेश दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)